फैसल

(सरपल) 2017/00281

POR (AL)

13/7/17

मुकदमा कार्ड व रजिस्टर में ... 13/7/17

ता पेशी 25/7/17

25/7/17

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारिख दायर 3	तारिख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
212- RTA प्रा० पत्र	53/17	27/6/17	25-7-2017 ~~6/1/17~~	

अनवान

श्रीमति ... W/o राजूनाथ ... श्री ~~...~~ ... नाथ पिता ... बावा

निवासी ... ... (2) निवासी ... (3)

श्री महेशजी ...

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट   अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार   रेस्पाडैन्ट / मदयूनान

श्री ....श्री..................

Scanned by CamScanner

APP-A

Form No. III

Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डलगढ

बनाम

मुकदमा :– प्रार्थना पत्र

मु. नं. 53 /2017

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/6/17	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र भेज की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी/ जवाब दिनांक 18/7/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ	
18/7/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में तारीख नियत की जावे। अतः आगामी तिथि में पेशी दिनांक 24/7/17 को पेश हो। पुनश्च: प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार माण्डलगढ़ की बाद तामील नोटिस प्राप्त शा.फा. किया। पत्रावली वास्ते दिनांक 24/7/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/7/17	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी ....उपस्थित प्रतिवादीगण। सं 3 की बाद तामील हो चुकी है आवाज दिलाई अनुपस्थित। .... [illegible] है पत्रावली वास्ते बहस ....दिनांक 25/7/17 को पेश हो। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है।	
25/7/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ग्राम हरजसपुरा प० स० सरपंच में स्थित आराजी न० 133, 141, 142, 143, 144	

P. T. O.

Scanned by CamScanner

145, 146, 147, किता 9 रकबा 16 बीघा
15 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण तथा
विपक्षी देवानाथ की पुश्तैनी जायदाद है।
प्रार्थी और विपक्षी के पूर्वज गोरखनाथ का
देहान्त 1990 में हुआ प्रार्थीया नं० (1)
गोरखनाथ की पुत्री होकर गोरखनाथ की
कृषि भूमि में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी
है। विपक्षी देवानाथ ने राजस्व कर्मचारियों
से मिलकर गोरखनाथ की भूमि का नामान्तरण
करा लिया और प्रार्थीया के मुकाबले शून्य प्रभावी
है। उक्त आराजी के खाते में गोरखनाथ का 1/2 भाग
हिस्सा है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में
निवेदन किया कि उक्त आराजी को विपक्षीगण
बेचने पर उतारू है।

अतः वकील प्रार्थी की बहस पर
मनन किया, ग्राम हरजसपुरा पटवार हल्का
बरखेला में स्थित आराजी नं. 133, 141, 142
143, 144, 145, 146, 147 किता 9 रकबा 16
बीघा 15 बिस्वा भूमि की विक्रय तथा
रहन बहन नहीं करेगा। तथा मूलवाद
के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड की
यथास्थिति बनाये रखें। अतः अब
पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं
होने से पत्रावली पैसल किया जाकर
नम्बर से कम हो। एवं पत्रावली
मूलवाद के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़